न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थित –हनी गोयल, एच.जे.एस. (UP–2408)
CNR No.- UPHP010050812026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1545/2026

मूलचन्द पुत्र श्री राधेलाल निवासी ग्राम शाहपुर थाना बाबूगढ़ जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

अन्तर्गत धारा–406, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना–हापुड़ कोतवाली, जिला– हापुड़।
परिवाद सं० 1515/2018

दिनांक 14.07.2026

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में परिवाद कथानक के अनुसार, परिवादी धीरेन्द्र त्यागी द्वारा परिवाद अवर न्यायालय में इस आशय का योजित किया कि परिवादी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण हिन्दूस्तान हापुड़ का ऐजेन्सी संचालक है। उसके पास मूलचन्द पुत्र राधेलाल निवासी ग्राम शाहपुर थाना बाबूगढ़ जिला हापुड़ हापुड़, उससे कमीशन पर अखबार लेकर बांटने का कार्य करता है, तथा एक माह का अखबार उधार लेकर अगले माह पूरा पेमेन्ट करता है, परन्तु मूलचन्द ने माह नवम्बर 2016 की एक तारीख से 24 तारीख तक उससे अखबार लिये और उसके बाद मूलचन्द ने उससे अखबार लेना बन्द कर दिया। उसका मूलचन्द पर 24 दिन का बकाया अंकन 16,844/–रूपये निकलते है। उसने मूलचन्द का दो दिन इन्तजार किया परन्तु मूलचन्द ने उसको कोई पैसे नहीं दिये, तो दिनांक 27.11.2016 की सुबह करीब 10.00 बजे मूलचन्द उसके पास अमर उजाला कार्यालय हापुड़ पर आया, जब उसने मूलचन्द पर अपने बकाया रूपयों का तगादा किया तो मूलचन्द ने कहा कि साले तू अपने पैसो का तगादा बन्द कर दें वरना मेरे पास कोरी जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र है, मैं तुझे झूठे हरिजन एक्ट के मुकदमें में फंसाकर जेल भिजवा दूँगा। अब मै तेरे अखबार का बकाया रूपया नहीं दूँगा। तुझसे जो होता हो मेरा बिगाड़ लेना, अब उल्टे ही तुझे मुझे एक लाख रूपये देने पड़ेगें, तथा जान से मारे की धमकी देकर गाली–गलौच करते हुये मूलचन्द बड़ी मुश्किल से वहां से गया। वह घटना की रिर्पोट लिखाने थाना हापुड़ कोतवाली गया जहां थाना हापुड़ कोतवाली की पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दिया, परन्तु प्रार्थी की रिर्पोट दर्ज नहीं की। मूलचन्द उसी दिन अपनी कोरी जाति का होने के बावजूद फर्जी कोरी जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर थाना बाबूगढ़ में उसके व उसेके पिता के खिलाफ हरिजन एक्ट का एक झूठा मुकदमा मु0अ0स0 433/2016 अन्तर्गत धारा 342,323,504,506 आई०पी०सी० व 3 (1) (10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट दर्ज करा दिया। जिसमें उसके तहसीलदार हापुड़ के जनसूचना अधिकार के तहत मूलचन्द के फर्जी कोरी जाति की सूचना के तहत जानकारी के तहत मूलचन्द का कोरी जाति का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। मूलचन्द ने आज तक ना तो उसके रूपये दिये है और अपने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उसके व उसके पिता के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा दिया है। उने दिनांक 14.02.2017 को पुलिस अधीक्षक महोदय, हापुड़ को एक शिकायती प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री डाक से प्रेषित किया, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके उपरान्त अवर न्यायालय द्वारा परिवादी के अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 के बयान एवं परिवादी की ओर परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–01 व पी०डब्लू०–02 के बयान अन्तर्गत

धारा–202 दं0 प्र 0 सं0 अंकित किए गए और इसके उपरान्त अवर न्यायालय द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर एवं परिवाद कथानक एवं साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मूलचन्द को धारा–406, 504, 506 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतू तलब किया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त को उक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त को मौके से नहीं पकड़ा गया है। दिनांक 27.11.2016 को आवेदक/अभियुक्त अमर उजाला कार्यालय पर नहीं गया था। परिवादी ने घटना का दिनांक 27.11.2016 झूठा एवं फर्जी दर्शाया है। दिनांक 27.11.2016 को आवेदक/अभियुक्त परिवादी से मिला भी नहीं है। परिवादी को दिनांक 27.16.2016 को जान से मारने की धमकी देना एवं झूठे केस में फसाने की धमकी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। परिवादी ने अपने परिवाद में घटना दिनांक 27.11.2016 की दर्शायी है तथा उक्त घटना की बावत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2017 को श्रीमान एस०पी० मोहदय हापुड़ को रजि० डाक द्वारा प्रेषित करना दर्शाया है देरी का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। आवेदक/अभियुक्त कोरी जाति से है। आवेदक/अभियुक्त का जाति प्रमाण पत्र शासन द्वारा जांच करने एवं तहसील कर्मचारियो की रिपोर्ट लगने के बाद ही दिनांक 10.10.2012 को जाति प्रमाण पत्र बनाया गया था। आवेदक/अभियुक्त ने कोई फर्जी प्रमाण पत्र तैयार नहीं किया था। आवेदक/अभियुक्त माननीय न्याायलय की सन्तुशष्टि के लिए अपनी उचित अग्रिम जमानत पेश करने को तैयार हैं। आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का अनुरोध किया गया।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, कारित अपराध को गंभीर बताते हुए कथन किया है कि अभियुक्त ने परिवादी से अखबार क्रय किये थे तथा अखबार की कीमत अंकन 16,844/–रूपये परिवादी को अदा नहीं किए तथा उक्त रूपये वापस मांगने पर परिवादी के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी और रूपये देने से इंकार कर दिया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक के तर्क सुने तथा दांडिक वाद की पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

6. आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने परिवादी से अखबार क्रय किये थे तथा अखबार की कीमत अंकन 16,844/–रूपये परिवादी को अदा नहीं किए तथा उक्त रूपये वापस मांगने पर परिवादी के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी और रूपये देने से इंकार कर दिया। मामला परिवाद पर आधारित है। आवेदक/अभियुक्त को परिवाद में तलब किया गया है। आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित धाराएं सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है अतः न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम विधि व्यवस्थाओं के आलोक में मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार करने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत परिवाद संख्या 1515/2018, धारा 406, 504, 506 भा0 दं0 सं0, थाना हापुड़ कोतवाली, जिला हापुड़ के मामले में स्वीकार किया जाता है। अतः माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमति बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 के प्रस्तर संख्या 46 में दिये गये निर्देषों के अनुपालन में संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000 रूपये की एक विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर छोड दिया जाये।

1 यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयोग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेंगे तथा अपना पासपोर्ट विचारण की समाप्ति तक न्यायालय में जमा करेगा।

4 यह कि आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।

5. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

6. यह कि आवेदक/अभियुक्त अपने आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्यप्रति दाखिल करेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक 14.07.2026

प्रभारी, सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।